सह शिक्षा (Co-education)

संख्या : 2506/15-7-08-10 (108)/07

प्रेषक,

एफ0एन0 प्रधान
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
शिक्षा (7) अनुभाग

सेवा में

शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊ : दिनाँक, 07 नवम्बर, 2008

विषय : इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन विनियमों के अध्याय-सात विनियम–5 (15), 5 (16) एवं 11 ट में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अ0शा0प0 : मा0शि0प0/परिषद–9/डी0ई0/568 दिनाँक 27 सितम्बर, 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन निर्मित विनियमों के अध्याय-सात, विनियम 5 (15), 5 (16) एवं 11 ट में संशोधन किये जाने पर अधिनियम की धारा 16 (2) के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल निम्नवत् शासकीय स्वीकृति प्रदान करते हैं–

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के विनियम के अध्याय-सात के नियम–5 (15) में संशोधन

वर्तमान स्वरूप

विनियम 5 (15) संस्था के प्रबन्धक द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रारूप में दस रुपये के स्टैम्प पेपर पर एक शपथ-पत्र दिया जाना होगा–

मैं (पूरा नाम).....आत्मज..... प्रबन्धक.....विद्यालय का नाम..... शपथपूर्वक प्रमाणित

करता हूँ कि संस्था को आवेदित.....की मान्यता प्रदान करने हेतु मेरे द्वारा जो साक्ष्य/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, वे सभी सत्य हैं। संस्था का प्रयोग छात्रों के पठन-पाठन के लिए ही किया जायेगा एवं मान्य अभ्यर्थियों के इतर अभ्यर्थियों का प्रवेश नहीं लिया जायेगा। मान्यता प्राप्त होने पर विभाग/परिषद के निर्देशों/विनियमों का पालन किया जायेगा। आवेदित वर्ग/विषय की कक्षायें मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही संचालित किये जायेंगे तथा भवन/भूमि का परिवर्तन कदापि नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों अथवा आवेदन-पत्र में अंकित विवरण/साक्ष्य के असत्य पाये जाने पर परिषद्/शासन द्वारा प्रदत्त की गयी मान्यता को प्रत्याहरित किया जा सकता है तथा मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 के प्रावधानों के अन्तर्गत जो विधिक कार्यवाही की जायेगी, मुझे मान्य होगी।

(ह0) प्रबन्धक

संस्था का पूरा नाम तथा पता

संशोधित स्वरूप

5 (15) संस्था के प्रबन्धक द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रारूप में दस रुपये के स्टैम्प पेपर पर एक शपथ-पत्र दिया जाना आवश्यक होगा–

मैं (पूरा नाम).....आत्मज..... प्रबन्धक.....विद्यालय का नाम..... शपथपूर्वक प्रमाणित करता हूँ कि संस्था को आवेदित.....की मान्यता प्रदान करने हेतु मेरे द्वारा जो भी साक्ष्य/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, वे सभी सत्य हैं। संस्था का प्रयोग छात्रों के पठन-पाठन के लिए ही किया जायेगा। मान्यता प्राप्त होने पर विभाग/परिषद के निर्देशों/विनियमों का पालन किया जायेगा,आवेदित वर्ग/विषय की कक्षायें मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही संचालित किये जायेंगे तथा भवन/भूमि का परिवर्तन कदापि नहीं किया जायेगा। आवेदन-पत्र के साथ संलग्नकों अथवा आवेदन-पत्र में अंकित विवरण/साक्ष्य के असत्य पाये जाने पर परिषद/शासन द्वारा प्रदत्त की गयी मान्यता को प्रत्याहरित किया जा सकता है तथा मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 के प्रावधानों के अन्तर्गत जो विधिक कार्यवाही की जायेगी, मुझे मान्य होगी।

(ह0) प्रबन्धक

संस्था का पूरा नाम तथा पता

वर्तमान स्वरूप

विनियम–5 (16) मान्यता आवेदन पत्र में संस्था द्वारा जिन अभ्यर्थियों के पठन-पाठन के लिए मान्यता आवेदित हो का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा संस्था में उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश लिया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों के अध्ययन/अध्यापन के लिए मान्यता प्राप्त हो गयी है। प्रदत्त मान्यता से इतर अभ्यर्थियों का संस्था में प्रवेश अनियमित होगा तथा संस्था के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही निरीक्षण अधिकारी द्वारा की जायेगी।

संशोधित स्वरूप

विनियम–5 (16) मान्यता आवेदन-पत्र में संस्था द्वारा जिन अभ्यर्थियों के पठन-पाठन के लिए मान्यता आवेदित हो का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा संस्था में उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश लिया जायेगा जिन अभ्यर्थियों के अध्ययन/अध्यापन के लिए मान्यता प्राप्त हुयी है। प्रदत्त मान्यता से इतर अभ्यर्थियों का संस्था में प्रवेश अनियमित होगा तथा संस्था के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही निरीक्षण अधिकारी द्वारा की जायेगी।

वर्तमान स्वरूप

विनियम–11 (ट) परिषद द्वारा संस्था को जिन अभ्यर्थियों के पठन-पाठन के लिए मान्यता प्रदान की गयी है, संस्था में उसी प्रकार के अभ्यर्थियों का प्रवेश/अध्यापन कराया जायेगा अर्थात् बालक रूप में मान्यता प्राप्त विद्यालय में बालक तथा बालिका के रूप में मान्यता प्राप्त विद्यालय में बालिका अभ्यर्थी ही अध्ययन के पात्र होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ स्थानीय रूप से बालिका विद्यालय उपलब्ध नहीं है बालिकायें, बालकों की संस्था में प्रविष्ट की जा सकेगी। ग्रामीण अथवा नगरीय क्षेत्र के बालिका विद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त विद्यालय में बालकों का प्रवेश किसी भी दशा में नहीं लिया जायेगा। अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि ग्रामीण

तथा शहरी क्षेत्र में बालक विद्यालयों में बालिकायें प्रविष्ट की जा सकेंगी, यदि सम्बन्धित बालिका विद्यालयों में उनके द्वारा चयनित किये जाने वाले वर्ग/विषय की मान्यता नहीं है।

संशोधित स्वरूप

11 (ट) प्रदेश के सभी हाईस्कूल स्तर तक मान्यता प्राप्त संस्थाओं में प्रथमतः बालक/बालिका अभ्यर्थियों के प्रवेश लिये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। अर्थात् विद्यालयों में सहशिक्षा का प्रावधान होगा।

ग्रामीण क्षेत्र के इण्टरमीडिएट स्तर तक के बालक तथा बालिका विद्यालयों में सह शिक्षा प्रदान किये जाने की व्यवस्था होगी। तात्पर्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के बालक विद्यालयों में इण्टरमीडिएट स्तर तक बालिकाओं का और बालिका विद्यालयों में इण्टरमीडिएट स्तर तक बालक अभ्यर्थियों का प्रवेश विद्यालय की धारण क्षमता एवं मान्य कक्षाओं के अनुरूप आवश्यकतानुसार लिया जा सकता है।

2. कृपया प्रकरण में उपर्युक्तानुसार अपेक्षित नियमित संशोधन कार्यवाही तत्काल सम्पादित की जाये।

भवदीय

(एफ0एन0 प्रधान) संयुक्त सचिव।